राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्सः– 0141–2222403,ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 21354–21546 दिनांक :– 21.5.19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त।

विषयः– माननीय एनजीटी द्वारा वाद संख्या 606/2018 में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु।

संदर्भः– राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गठित स्टेट लेवल कमेटी दिनांक 31/01/2019।

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी द्वारा वाद संख्या 606/2018 में पारित निर्देशों की पालना में माननीय जस्टिस श्री दीपक माहेश्वरी की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी नियमित बैठक आयोजित कर RSPCB द्वारा न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना की समीक्षा की जानी है।

इसी क्रम में माननीय जस्टिस द्वारा निकायों का Field visit भी की जानी है। Field visit के दौरान ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबन्धन हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिनको अपनाकर प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। प्रमुखतयाः निम्न बिन्दुओं पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः–

1. घर–घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं 100 प्रतिशत घरों से कचरा संग्रहण निर्धारित समय में संपन्न किया जावे।
2. प्रत्येक घर से पृथक्कीकृत(Segregated) कचरा पृथक–पृथक पात्र में लिया जाकर Containerized and Compartment वाले वाहनों में पृथक–पृथक इकट्ठा कर उसका परिवहन प्रोसेसिंग प्लांट/MRF तक किया जावे एवं उसकी मात्रा का रिकॉर्ड रखा जावे।
3. IEC गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को घरों/प्रतिष्ठानों में गीले कचरे हेतु हरा पात्र, सूखे कचरे हेतु नीला पात्र तथा घरेलू हानिकारक कचरे (Domestic Hazardous

Scanned by CamScanner

Waste) हेतु लाल पात्र रखकर उसमें अलग–अलग कचरा इकट्ठा करने हेतु जनजागरण अभियान चलाया जावे।

4. आम नागरिकों को कचरे के पृथक्कीकरण(Segregation) हेतु जागरूक किया जाकर इसकी शुरूआत कर निर्धारित समयावधि के उपरांत उल्लंघन करने वाले पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां 2019 के अनुसार शास्ति वसूलने की कार्यवाही की जावे।
5. कचरे के पृथक्करण(Segregation) हेतु आमजन के साथ–साथ RWAs की भूमिका महत्वपूर्ण है। RWAs की निकायवार लिस्ट बनाकर उनको कचरे के पृथक्कीकरण के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जावे।
6. निकायों क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर पर वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की जानकारी एवं बेहतर प्रबंधन हेतु Best Practice इत्यादि का प्रचार–प्रसार किया जावे।
7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्लास्टिक वेस्ट को पृथक कर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। अतः ठोस अपशिष्ट से प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर उसको Recycle करने हेतु भेजना ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग की जब्ती जिला कलेक्टर एवं RO RPCB के सहयोग से करते हुए प्लास्टिक कैरी बैग का प्रयोग करने वालों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां 2019 के अनुसार शास्ति लगवाई जाकर प्लास्टिक कैरी बैग की प्रभावी रोकथाम की जावे।
8. खुले नालों के मुहाने पर जाली/Gratings लगाई जाकर कचरे को नालों में गिरने से रोका जावे इस हेतु बरसात के मौसम से पूर्व कार्य योजना बनाई जाकर कार्य त्वरित गति से किया जावे।
9. प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय Unipole/Hoarding जो वर्तमान में खाली है, उनको RPCB की मांग के अनुसार दिया जाकर उन पर IEC गतिविधियां प्रसारित की जावे। इसी क्रम में FM Radio को उपयोग में लिया जाकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक धन राशि का प्रबंधन किया जावे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इस कार्य हेतु धन लिये जाने के प्रयास किये जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 2151-2162 दिनांक :- 21.5.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, माननीय जस्टिस श्री दीपक माहेश्वरी।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
8. DDR (समस्त)।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner